रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112020-223384
CG-DL-E-27112020-223384

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 609] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 27, 2020/अग्रहायण 6, 1942
No. 609] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2020/AGRAHAYANA 6, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 740(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ नियमों में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रस्तावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के बारे में आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे अथवा director-morth@gov.in पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

इन प्रारूप नियमों के बारे में आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ—**(1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (... संशोधन) नियम, 2020 कहा जा सकता है,

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से तीन माह बाद लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में,

(क) नियम115 में,

i. उप नियम (1) में, मौजूदा पाठ को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"प्रत्येक मोटर वाहन, बैटरी चालित वाहनों और 01 मार्च, 1990 से पहले निर्मित वाहन के अलावा, का ऐसी स्थिति में रखी जाएगी और इस प्रकार चलाई जाएगी कि इन नियमों में निर्धारित मानकों का अनुपालन कर सके"

[औचित्य: एल 1 श्रेणी के 50 सीसी के वाहनों, यदि तारीख के अनुसार थर्मिक इंजन लगा हो, को पीयूसी का अनुपालन करना चाहिए, केवल बीओवी और 1990 से पहले निर्मित वाहनों के लिए छूट]

ii. उप नियम (2) में,

क. खंड (iii) (क) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(iii) (क) उपरोक्त खंड (i) या खंड (ii) के अनुसार परीक्षण के दौरान प्राप्त उत्सर्जन परिणाम, समय-समय पर संशोधित एआईएस 137 (भाग 8) में निहितानुसार, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय मोटर वाहन रजिस्टर के प्रपत्र 59 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार किए जाएंगे।"

[औचित्य: नए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नं., राष्ट्रीय रजिस्टर से लिंक किए गए और टीएपी दस्तावेज़ के स्थान पर अब एआईएस 137 (भाग 8) दिया गया है]

ख. खंड (iii)(ख) को हटा दिया जाएगा।

(ख) नियम 115 में, उप नियम 2 (i) "टीएपी दस्तावेज सं. 115 और 116" शब्दों और अक्षरों के लिए, "एआईएस 137" शब्दों और अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) नियम 116 में,

क. उप नियम (1) और (2) के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"(1) नियम 115 के उप-नियम (7) में निहित होने के बावजूद, पुलिस उप-निरीक्षक या मोटर वाहन निरीक्षक की रैंक के ऊपर का कोई भी अधिकारी, जिसके पास यह मानने का कारण है कि कोई मोटर वाहन नियम 115 के उप-नियम (2) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है, किसी अधिकृत प्रदूषण नियंत्रण परीक्षण स्टेशन में उत्सर्जन के मानकों को मापने का परीक्षण करने के लिए वाहन को प्रस्तुत करने हेतु सीधे चालक या वाहन के प्रभारी किसी भी व्यक्ति को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निर्देश दे सकता है।

(2) यदि चालक या वाहनों का प्रभारी व्यक्ति अनुपालन के लिए वाहन प्रस्तुत नहीं करता है या वाहन निर्धारित सात (07) दिनों की अवधि के भीतर 115 के उप-नियम (2) का अनुपालन नहीं करता है, तो वाहन का मालिक अधिनियम की धारा 190 की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित दंड देने के लिए उत्तरदायी होगा।

बशर्ते कि, यदि मालिक अनुपालन करने में विफल रहता है, ऐसी अवधि तक वैध "प्रदूषण नियंत्रण" प्रमाण पत्र तैयार नहीं होता है, तो पंजीकरण प्राधिकरण लिखित में दिए जाने वाले कारणों के आधार पर वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र और प्रदान किए गए किसी भी परमिट को निलंबित कर देगा।

[औचित्य: एसएमएस / टिकट प्रणाली को राष्ट्रीय रजिस्टर के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर ई चालान दिया जाना चाहिए]

(3) नियम 115 के उप-नियम (2) के प्रावधानों के अनुपालन का मापन नियम 126 में उल्लिखित किसी भी एजेंसी या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंता अनुसंधान संस्थान, नागपुर-440001 द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 137 के अनुसार अनुमोदित किस्म के उपकरण का उपयोग करके किया जाएगा।

ख. उप-नियम (4), (5), (6), (7), (8) और (9) को हटा दिया जाएगा।

"

(घ) प्रपत्र 58 के पश्चात् निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"

प्रपत्र 59

[नियम115 (2) देखें]

प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र

द्वारा अधिकृत:

XXXX सरकार

दिनांक: दिनांक/माह/वर्ष

क्यूआर कोड

समय : घंटा :मि. :सै. पूर्वाह्न/अपराह्न

तक वैध : दिनांक /माह /वर्ष

प्रमाण पत्र क्र. सं. :

पंजीकरण सं.:

पंजीकरण की तारीख:

निर्माण की तारीख:

उत्सर्जन मानक:

ईंधन :

पीयूसी कोड:

जीएसटीआईएन :

शुल्क :

एमआईएल अवलोकन: हां / नहीं (यदि "हां" तो अस्वीकृति पर्ची)

वाहन का फोटो
60 मिमी x 30 मिमी

क्र. सं.	**प्रदूषक (जैसा लागू हो)**	**यूनिट्स (जैसा लागू हो)**	**उत्सर्जन सीमा**	**जांचा गया मान (2 दशमलव स्थानों तक)**
1	2	3	4	5
खराब उत्सर्जन	कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ)	प्रतिशतता (%)		
	हाइड्रोकॉर्बन (टीएचसी/एचसी)	पीपीएम		
अधिक खराब उत्सर्जन	सीओ	प्रतिशतता (%)		
	आरपीएम	आरपीएम	2500 ± 200	
	लम्डा	-	1+_ 0.03	
	प्रकाश अवशोषण गुणक	1/मीटर	माध्य	एकल रीडिंग

यह पीयूसी प्रमाणपत्र राष्ट्रीय मोटर वाहन रजिस्टर के माध्यम से प्रणाली द्वारा तैयार किया गया है, जिसे किसी भी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

नोट: 1. वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबरों को https://vahan.parivahan.gov.in पर लॉग इन करके पंजीकृत वाहन से लिंक करें

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX पर लॉग इन करके प्रतिक्रिया / अनुक्रिया प्रस्तुत की जा सकती है

पीयूसी संचालक की मोहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षर

(राज्य के लिए वैकल्पिक)

60 मिमी x 20 मिमी

प्रपत्र 59-ए

[नियम 115 (2) देखें]

प्रदूषण नियंत्रण – अस्वीकृति पर्ची

द्वारा अधिकृत:

XXXX सरकार

दिनांक :दिनांक /माह /वर्ष

समय : घंटा :मि.:सै. पूर्वाह्न/अपराह्न

तक वैधता : दिनांक /माह /वर्ष

प्रमाण पत्र क्र. सं.:

पंजीकरण सं.:

पंजीकरण की तारीख:

विनिर्माण की तारीख:

उत्सर्जन मानक:

ईंधन:

पीयूसी कोड:

जीएसटीआईएन:

शुल्क :

इसके लिए पीयूसी को अस्वीकृत किया गया (नीचे दिए गए किसी भी कारण से)	
एमआईएल "ऑन"	**ऑन बोर्ड जांच, मल फंक्शन इंडिकेशन लैंप (एमआईएल) को इंजन शुरू करने के बाद "ऑन" की स्थिति में देखा गया**
उत्सर्जन मान	**उत्सर्जन मान केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक**

परिणाम बॉक्स, यदि आवश्यक हो तो मुद्रित किया जा सकता है

वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे पीयूसी अनुपालनों को पूरा करने के लिए सर्विस और मरम्मत के बाद वाहन को फिर से प्रस्तुत करें

यह पीयूसी प्रमाणपत्र राष्ट्रीय मोटर वाहन रजिस्टर के माध्यम से प्रणाली द्वारा तैयार किया गया है, जिसे किसी भी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

पीयूसी संचालक की मोहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षर

(60 मिमी x 20 मिमी)

नोट: 1. वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबरों को https://vahan.parivahan.gov.in पर लॉग इन करके पंजीकृत वाहन से लिंक करें

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX पर लॉग इन करके प्रतिक्रिया / अनुक्रिया प्रस्तुत की जा सकती है

वाहन का फोटो

60 मिमी x 30 मिमी

[सं. आरटी-11036/94/2020-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियमों को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. ....., दिनांक .... द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2020

G.S.R. 740(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), email: director-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short Title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (……Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on three months from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989,

(A) in rule 115,

i. in sub rule (1), substitute the existing text with following, namely:

"Every motor vehicle, other than battery operated vehicles and those manufacture prior to the first day of March 1990, shall be maintained in such condition and shall be so driven so as to comply with the standards prescribed in these rules"

[Justification: category L1 vehicles with 50 cc, if fitted with thermic engine as on date should comply with PUC, only exemption to BOV and vehicles manufactured prior to 1990]

ii. in sub rule (2),

a. for the clause (iii)(a) by the following shall be substituted, namely:-

"(iii) (a) The emission results obtained during testing as per clause (i) or clause (ii) above, shall be electronically generated in the Form 59 from the National Register of Motor Vehicles, as the case may be, as laid down in AIS 137 (Part 8) as amended from time to time."

[Justification: New electronic form no. , linking to National register and TAP document is now replaced with AIS 137 (Part 8)]

b. the clause (iii)(b) shall be deleted.

(B) in Rule 115, sub rule 2(i) for the words and letters " TAP documents Nos. 115 and 116", the words and letters " AIS 137" shall be substituted.

(C) in rule 116,

a. for sub rule (1) and (2) the following rule shall be substituted, namely:

"(1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (7) of rule 115 any officer not below the rank of Sub-Inspector of Police or the Inspector of Motor Vehicles who has reason to believe that a motor vehicle is not complying with the provisions of sub-rule (2) of rule 115, to communicate in writing or through electronic modes to direct the driver or any person incharge of the vehicle to submit the vehicle for conducting the test to measure the standards of emission in any one of the authorized Pollution Under Control testing stations.

(2) If the driver or person incharge of the vehicles fails to submit the vehicle for compliance or the vehicles fails to comply with sub-rule (2) of 115 within the stipulated period of seven (07) days, the owner of the vehicle shall be liable for penalty prescribed under sub-section (2) of section 190 of the Act.

Provided that, If the owner fails to comply, the registering authority shall, for reasons to be recorded in writing suspend the certificate of registration of the vehicle and any permit granted, until such time a valid "Pollution under Control "certificate is generated.

[Justification: System of SMS / ticket should be linked with National register. Failure should initiate e challan]

(3) The measurement for compliance to the provisions of sub-rule (2) of rule 115 shall be carried out using the instrument type approved in accordance with AIS 137, as amended from time to time, by any agency referred to in rule 126 or by the National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur-440 001

b. Sub-rule (4),(5),(6),(7),(8) and(9) shall be deleted.

"

(D) After the FORM 58 the following be inserted, namely :-

"

Form 59

[See rules 115 (2)]

Pollution Under Control Certificate

Auhtorised by :

Government of XXXX

Date : dd/mon/yyyy QR CODE

Time : hh:mm:ss AM/PM

Validity upto: dd/mon/yyyy

Certificate SL. No. :

Registration No. :

Date of Registration :

Date of Manufacturing :

Emission Norms :

Fuel :

PUC Code :

GSTIN :

Fees :

MIL observation : Yes / No (if "Yes" then Rejection Slip)

Vehicle Photo

60 mm x 30 mm

Sr. No.	**Pollutant (as applicable)**	**Units (as applicable)**	**Emission limits**	**Measured Value (upto 2 decimal places)**
1	2	3	4	5
Idling Emissions	Carbon Monoxide (CO)	percentage (%)		
	Hydrocarbon, (THC/HC)	ppm		
High idling emissions	CO	percentage (%)		
	RPM	RPM	2500 ± 200	
	Lamda	-	1± 0.03	
	Light absorption coefficient	1/metre	mean	single reading

This PUC certificate is system generated through the national register of motor vehicles does not require any signature.

Note : 1. Vehicle owners are requested to link their mobile numbers to registered vehicle by logging to https://vahan.parivahan.gov.in

2. feedback / Response can be submitted by logging to XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Authorised Signature with stamp of PUC operator

(Optional for State)

60mm x 20 mm

Form 59-A

[See rules 115 (2)]

Pollution Under Control – Rejection Slip

Auhtorised by :

Government of XXXX

Date :dd/mon/yyyy

Time : hh:mm:ss AM/PM

Validity upto: dd/mon/yyyy

Certificate Sl. No. :

Registration No. :

Date of Registration :

Date of Manufacturing :

Emission Norms :

Fuel :

PUC Code :

GSTIN :

Fees :

PUC is rejected for (any one of below reason)	
MIL "ON"	**The on board diagnostics , Mal function indication lamp (MIL) was observed "ON" condition after starting the engine**
Emission Values	**The emission value exceeds the limits prescribed under the Central Motor Vehicles Rules, 1989**

Result box, if required may be printed

The vehicle owners are advised to resubmit the vehicle after service and repair to complement the PUC requirements.

This PUC certificate is system generated through the national register of motor vehicles does not require any signature.

Authorised Signature with stamp of PUC operator

(60mm x 20 mm)

Note :1. Vehicle owners are requested to link their mobile numbers to registered vehicle by logging to https://vahan.parivahan.gov.in

2. feedback / Response can be submitted by logging to XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vehicle Photo

60 mm x 30 mm

" [No. RT-11036/94/2020-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i),vide notification number G.S.R……, dated the ………

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA